राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 3488/2018

डॉ. मणि कांत कोठारी पुत्र स्वर्गीय श्री एम.सी. कोठारी, उम्र-60 वर्ष सेवानिवृत्त वरिष्ठ बैंक चिकित्सा अधिकारी, निवासी-104/11, मध्यम मार्ग, विजय पथ क्रॉसिंग के पास, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक, क्षेत्रीय निदेशक, रामबाग सर्कल, टोंक रोड, जयपुर-302004 के माध्यम से।
3. भारतीय रिज़र्व बैंक, मुख्य महाप्रबंधक, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र, 400001 के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से	:	श्री महेंद्र शाह, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री सारा शर्मा द्वारा सहायता
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री आर.एन. माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री संजय श्रीवास्तव, श्री आदित श्रीवास्तव द्वारा सहायता

माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड

<u>आदेश</u>

आदेश सुरक्षित करने की तिथि	:	11.07.2023
आदेश उच्चारित करने की तिथि	:	20.07.2023

<u>रिपोर्टेबल</u>

1. याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित प्रार्थना के साथ तत्काल याचिका दायर की गई है:

> "I. इसलिए प्रार्थना की जाती है कि दिनांक 15.06.2017 (अनुलग्नक 10) के आक्षेपित आदेश को कृपया अवैध और अमान्य घोषित किया जाए, इसलिए, सभी परिणामी लाभों के साथ उत्प्रेषण रिट (सरशियोरेराइटी रिट)

जारी करके इसे रद्द किया जा सकता है और आपास्त किया जा सकता है।

II. कृपया प्रत्यर्थीगण को 30.04.2017 को सेवानिवृत्ति की तारीख से पीएफ की राशि के समायोजन के बाद 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित सभी बकाया राशि के साथ पेंशन लाभ जारी करने के लिए परमादेश रिट जारी करके निर्देशित किया जाए।

III. कोई अन्य उचित राहत जो माननीय न्यायालय इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में औचित्यपूर्ण और समुचित समझे, भी कृपया याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित की जा सकती है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से याचिकाकर्ता को ग्रेड-II अधिकारी के वेतनमान के तहत बैंक के चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था जो कि 4825-10350 रुपये था। अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता का नियुक्ति आदेश बताता है कि वह ग्रेच्युटी और अन्य सेवा लाभ पाने का पात्र है। याचिकाकर्ता ने प्रत्येक सप्ताह में 13 घंटे से अधिक समय तक उक्त पद पर कर्तव्यों का निर्वहन किया। अधिवक्ता का कहना है कि वेतन पर्ची जारी करते समय 'पेंशन' शब्द का उल्लेख किया गया था। अधिवक्ता का कहना है कि सेवानिवृत्ति के समय प्रत्यर्थीगण ने याचिकाकर्ता की स्थिति को एक संविदा कर्मचारी के रूप में माना है, जबकि याचिकाकर्ता को कभी भी संविदा कर्मचारी के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था, बल्कि याचिकाकर्ता को हमेशा अंशकालिक कर्मचारी के रूप में माना गया था। अधिवक्ता का कहना है कि भारतीय रिज़र्व बैंक पेंशन विनियम, 1990 (संक्षेप में '1990 के विनियम') के विनियमन 2(7) के अनुसार याचिकाकर्ता का मामला कर्मचारी की परिभाषा के अंतर्गत आता है। अधिवक्ता का कहना है कि जब एक बार याचिकाकर्ता को मूल वेतन और सभी भत्ते प्रदान कर दिए गए तो बिना किसी कल्पना के उसे संविदा कर्मचारी नहीं माना जा सकता है। अधिवक्ता का कहना है कि ऐसी ही परिस्थितियों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने **डॉ. नृपेंद्र कृष्ण बरुआ बनाम भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य** के मामले में पर निर्णय लेते समय **डब्ल्यूपी (सी) संख्या 1424/2008** शामिल इसी तरह के मुद्दे को निपटाया था और यह निर्णय दिया कि ऐसे भत्ते आमतौर पर एक नियमित कर्मचारी को दिए जाते हैं, संविदा कर्मचारी को नहीं। अधिवक्ता का कहना है कि उक्त याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को अधिकारियों को उसे पेंशन लाभ देने के निर्देश के साथ अनुमति दी गई थी। अधिवक्ता ने

आगे कहा कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय का भारतीय रिजर्व बैंक ने डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर करके अभ्याक्रमण कर दिया था, लेकिन उक्त अपील खारिज कर दी गई थी, उसके बाद भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपील (सी) संख्या 33817/2016 के लिए विशेष अनुमति दायर किए जाने को भी प्राथमिकता दी थी, लेकिन उसे भी ख़ारिज कर दिया गया था। अधिवक्ता का कहना है कि इन परिस्थितियों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय शीर्ष न्यायालय तक अंतिम रूप ले चुका है। अधिवक्ता ने आगे कहा कि जब याचिकाकर्ता चयन प्रक्रिया से गुजर चुका है और जब नियमित रूप से चयनित उम्मीदवार के सभी लाभ उसे दिए जा चुके हैं तो उसे संविदा कर्मचारी नहीं माना जा सकता है। अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने **के. रघुपति बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** के मामले में शीर्ष न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, जिसे **2022 एससी (6) एसएससी 346** में प्रकाशित पर भी भरोसा जताया है।

3. उपरोक्त के अलावा, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने **विजय कुमार जोनवाल बनाम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रमोशन राजस्थान (एकलपीठ रिट याचिका संख्या 14649/2019)** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया है। अधिवक्ता का कहना है कि यहां ऊपर दी गई दलीलों के मद्देनजर, इस न्यायालय का हस्तक्षेप जरूरी है और प्रत्यर्थीगण को याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभों के साथ पेंशन लाभ देने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

4. इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और कहा कि याचिकाकर्ता को पूरी तरह से तीन साल की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था जो उसके बाद समीक्षा के अधीन था। अधिवक्ता का कहना है कि नियुक्ति के विशिष्ट नियम और शर्तों का उसमें उल्लेख किया गया था कि याचिकाकर्ता ग्रेच्युटी, छुट्टियों, चिकित्सा अवकाश और भविष्य निधि आदि के भुगतान के लिए पात्र होगा। अधिवक्ता का कहना है कि नियुक्ति आदेश दिनांक 15.02.2001 के उपरोक्त प्रस्ताव में यह विशेष रूप से था उल्लेख किया गया है कि यदि उपरोक्त नियम और शर्तें याचिकाकर्ता को स्वीकार्य हैं और यदि वह सहमत है, तो वह नियुक्ति के नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के प्रतीक के रूप में उस पर हस्ताक्षर कर सकता है। अधिवक्ता का आगे कहना है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया था कि याचिकाकर्ता पेंशन विनियम, 1990 के अनुसार पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। अधिवक्ता का कहना है कि नियुक्ति आदेश के नियमों और शर्तों

को पढ़ने के बाद, याचिकाकर्ता ने इसे स्वीकार कर लिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता की अनुबंध अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इस बीच याचिकाकर्ता को बैंक के चिकित्सा अधिकारी के रूप में स्केल-II से स्केल-I पदोन्नत किया गया और उनके पदोन्नति आदेश में भी उनकी स्थिति संविदा कर्मचारी के रूप में उल्लिखित की गई। अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति से पहले भी याचिकाकर्ता को दिनांक 08.02.2016 के आदेश द्वारा विस्तार दिया गया था और याचिकाकर्ता की सेवाओं को 30.04.2017 तक अर्थात उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक संविदा कर्मचारी के रूप में बढ़ाया गया था। अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद 30.04.2017 को सेवानिवृत्त हो गया और इस संबंध में 28.08.2018 को एक प्रमाण-पत्र जारी किया गया था जिसमें याचिकाकर्ता की स्थिति को अंशकालिक संविदा कर्मचारी के रूप में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था। अधिवक्ता का कहना है कि अधीनस्थ कर्मचारियों की गलती के कारण मार्च, 2011 से अप्रैल 2015 तक जारी याचिकाकर्ता की वेतन पर्ची में 'पेंशन' शब्द का उल्लेख किया गया था। अधिवक्ता का कहना है कि उपरोक्त गलती को अप्रैल, 2015 महीने में सुधार लिया गया था, जब याचिकाकर्ता का वेतन विवरण प्रत्यर्थीगण द्वारा जारी किया गया था और उसके बाद के वेतन प्रमाणपत्रों में 'पेंशन' शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने **डॉ. नृपेंद्र कृष्ण बरुआ (सुप्रा.)** के मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया जो मामले के वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होता है। अधिवक्ता का कहना है कि उपरोक्त निर्णय की वैधता को प्रत्यर्थीगण- बैंक द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील के लिए विशेष अनुमति दायर करके चुनौती दी गई थी और इसे 10.02.2020 को खारिज कर दिया गया था, जिससे विधि के सभी प्रश्न खुले के खुले ही रह गए। अधिवक्ता का कहना है कि मामले के उपरोक्त तथ्यात्मक पहलुओं के मद्देनजर गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और इसका भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत पूर्ववर्ती कानून का कोई प्रभाव नहीं है। अधिवक्ता का कहना है कि सेवानिवृत्ति की तारीख तक याचिकाकर्ता ने संविदा कर्मचारी के रूप में अपनी स्थिति के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई है। केवल अपनी सेवानिवृत्ति के बाद ही उन्होंने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि शुरुआत में उन्हें अन्य अधिकारियों की तरह पेंशन सुविधा दी गई थी, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया। अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता को न तो कोई

पेंशन सुविधा दी गई और न ही इस संबंध में कोई आदेश पारित किया गया। अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर अभ्यावेदन पर प्रतिवादी- बैंक द्वारा याचिकाकर्ता को पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए अयोग्य मानकर निर्णय लिया गया था। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय और इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा जताया है:-

1. राजस्थान विश्वविद्यालय और अन्य बनाम प्रेम लता अग्रवाल, 2013 (3) एससीसी 705 में प्रकाशित।

2. योगेश महाजन बनाम प्रोफेसर आर.सी. डेका, निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, 2018 (3) एससीसी 218 में प्रकाशित।

3. अशोक कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड और अन्य (खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 889/2007) दिनांक 01.06.2017 को निर्णीत।

4. वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अन्य बनाम श्री लाल मीना, 2019 (4) एससीसी 479 में प्रकाशित।

5. ग्रिडको लिमिटेड और अन्य बनाम सदानंद डोलोई और अन्य, एआईआर 2012 सुप्रीम कोर्ट 729 में प्रकाशित।

5. यहां ऊपर दी गई दलील के मद्देनजर, अधिवक्ता का कहना है कि मौजूदा याचिका में कोई बल विद्यमान नहीं है और इसे खारिज किया जा सकता है।

6. अधिकवक्ता परिषद में की गई दलीलों को सुना गया और उन पर विचार किया गया तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

7. यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता को तीन साल की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर बैंक के अंशकालिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, जो उसके बाद समीक्षा के अधीन था। उसके नियुक्ति आदेश के अवलोकन से संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता को बैंक के भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा अवकाश और अस्पताल सुविधाओं आदि के लिए पात्र माना गया था। याचिकाकर्ता ने 15.02.2001 के नियुक्ति आदेश के इस प्रस्ताव को स्पष्ट समझ के अनुसार पढ़कर स्वीकार कर लिया। इसके बाद, उन्हें दिनांक 11.4.2011 के आदेश द्वारा अंशकालिक बैंक के चिकित्सा अधिकारी के रूप में स्केल-II से स्केल-I में पदोन्नत किया गया और इस

पदोन्नति आदेश में याचिकाकर्ता की स्थिति "संविदा" के रूप में उल्लिखित की गई थी। याचिकाकर्ता की अनुबंध अवधि 19.2.2013 से 18.02.2016 तक बढ़ा दी गई थी। इसके बाद, प्रतिवादी बैंक द्वारा 08.02.2016 को याचिकाकर्ता को एक पत्र लिखा गया और उनकी सहमति मांगी गई कि क्या याचिकाकर्ता 60 वर्ष की आयु अर्थात अप्रैल 2017 तक अपने विस्तार में रुचि रखता है। याचिकाकर्ता की सहमति पर उसका अनुबंध 30.07.2017 तक बढ़ा दिया गया और उसी दिन याचिकाकर्ता अंशकालिक संविदा कर्मचारी की हैसियत से सेवानिवृत्त हो गया। याचिकाकर्ता ने 15.02.2001 से 30.07.2017 तक बैंक के लिए काम किया, लेकिन याचिकाकर्ता ने अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कभी यह मुद्दा नहीं उठाया कि वह अंशकालिक चयनित उम्मीदवार था या संविदा कर्मचारी था। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद ही, उन्होंने पेंशन की मंजूरी के लिए प्रतिवादी बैंक के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि शुरुआत में उन्हें अन्य अधिकारियों की तरह पेंशन सुविधा दी गई थी, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि याचिकाकर्ता को न तो कोई पेंशन सुविधा दी गई और न ही उसे कभी इसकी मंजूरी दी गई।

8. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के मार्च 2011 से अप्रैल 2015 तक के वेतन विवरण में, 'पेंशन' शब्द दर्शाया गया था, उसके बाद जुलाई, 2015 से शुरू होने वाले महीने के वेतन विवरण से यह 'पेंशन' शब्द हटा दिया गया था। मार्च 2011 से पहले के वेतन विवरणों में इस 'पेंशन' शब्द का उल्लेख भी नहीं किया गया था। 25.09.2008 के वेतन प्रमाणपत्र में 'पेंशन' शब्द नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि डेटा प्रविष्टि की गलती के कारण मार्च 2011 से अप्रैल 2015 तक इन वेतन प्रमाणपत्रों में 'पेंशन' शब्द का उल्लेख किया गया था, लेकिन बाद में प्रत्यर्थीगण द्वारा इस गलती को सुधार लिया गया।

9. चार साल के उपरोक्त वेतन प्रमाणपत्र के अलावा, यह दिखाने या साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी की पेंशन योजना का सदस्य था।

10. विनियम 1990 का खंड 2(7) "कर्मचारी" शब्द को परिभाषित करता है। कर्मचारी का अर्थ है बैंक की सेवा में पूर्णकालिक या अंशकालिक कार्य पर प्रति सप्ताह तेरह घंटे से अधिक नियोजित कोई भी व्यक्ति, लेकिन इसमें संविदा के आधार पर या दैनिक मजदूरी के आधार पर नियोजित व्यक्ति शामिल नहीं होगा। विनियम 4 के अनुसार, प्रति सप्ताह 13 घंटे से अधिक काम करने वाले पूर्णकालिक कर्मचारी और अंशकालिक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति

पर पेंशन देय होगी, बशर्ते उन्होंने न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

11. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को तीन साल के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था और उसका अनुबंध समय-समय पर 30.07.2017 को हुई उसकी सेवानिवृत्ति तक बढ़ाया गया था और इस बीच, उसे स्केल-I में पदोन्नति दी गई थी। लेकिन ये सभी दस्तावेज़ स्पष्ट रूप से उसकी केवल "अंशकालिक संविदा चिकित्सा अधिकारी" के रूप में स्थिति को दर्शाते हैं। कहीं भी उनकी स्थिति का उल्लेख नहीं किया गया और न ही उसे 'पूर्णकालिक कर्मचारी' या 'अंशकालिक' कर्मचारी घोषित किया गया। याचिकाकर्ता ने स्वयं अपनी स्थिति अंशकालिक कर्मचारी के रूप में कल्पित और परिकल्पित कर ली है। उसकी ऐसी धारणा और कल्पना के पीछे कोई आधार नहीं है।

12. **2016 (8) एससीसी 293** में रिपोर्ट किए गए **महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम अनिता और अन्य** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि नियुक्ति की प्रकृति को देखते हुए और इसकी अवधि को विधिवत स्वीकार करने के बाद, उम्मीदवार को सेवा के अंत में नियुक्ति की प्रकृति को चुनौती देने से रोका जाता है।

13. यह कानून के सुस्थापित सिद्धांत हैं और यह एक सर्वविदित तथ्य है कि किसी दिए गए मामले में अदालत आदेश को संशोधित कर सकती है लेकिन वह आदेश बनावट को नहीं बदल सकती है। जब नियुक्ति आदेश की भाषा सरल और स्पष्ट हो तो यह व्याख्या का दायरा नहीं बढ़ा सकती है। यह उसमें शब्दों को जोड़ या घटा नहीं सकती है या उसमें कुछ ऐसा नहीं पढ़ सकती है, जो वहां लिखा ही नहीं है। यह याचिकाकर्ता के नियुक्ति आदेश को दोबारा नहीं लिख सकती है या उसे फिर से तैयार नहीं कर सकती है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत **डॉ. नृपेंद्र कुमार बरुआ (सुप्रा.)** के मामले में दिए गए निर्णय पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा किया गया विश्वास, इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होता है। हालाँकि, निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया था और बैंक द्वारा दायर एसएलपी को खारिज कर दिया गया था, लेकिन कानून के प्रश्न को अन्य मामलों में निर्णय लेने के लिए खुला रखा गया था।

14. ऊपर की गई चर्चा से, इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता को संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया था और उसकी सेवाएं संविदा कर्मचारी की क्षमता में प्रतिवादी बैंक के साथ जारी रहीं, इसलिए, उसका मामला पेंशन विनियमन 1990 के खंड 4 के दायरे में नहीं आता है। इसलिए, वह पेंशन लाभ का दावा करने का हकदार नहीं है।

15. परिणामस्वरूप, याचिका को गुणहीन पाया गया और इसे खारिज कर दिया गया।

16. स्थगन आवेदन और सभी आवेदन (यदि कोई हो तो लंबित) भी खारिज किए जाते हैं।

17. पक्षकार अपनी-अपनी लागत स्वयं वहां करेंगे।

(अनूप कुमार ढंड), न्यायमूर्ति

Dheeraj/Pcg/18

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।